

9/4/26

वायपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में फई बाद
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसला शमार न. से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

